कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बस्ती

संख्या 141 /पन्द्रह–ग्रीष्म कालीन न्यायालय/दिनॉकः बस्ती : 18 अप्रैल, 2023

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0–7356/मेन. (पी)/एडमिन. (ए–3)/इलाहाबाद दिनांकित 31.05.2019 के द्वारा माह मई एवं जून वर्ष 2019 में तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष माह मई एवं जून में न्यायालयों की कार्यावधि प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है तथा यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि प्रातः कालीन न्यायालय समय 7.00 बजें से 1.00 बजे तक के लिए जनपद के अधिवक्ता संघ सहमत नही होते है तब माह मई एवं जून वर्ष 2019 में तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष माह मई एवं जून में न्यायालयों की नियमित कार्यावधि प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक होगी। इस सम्बन्ध में संयुक्त बार एसोसियेशन बस्ती के प्रस्ताव दिनांकित 01.04.2023 के द्वारा न्यायालय कार्यावधि 7.00 बजें से 1.00 बजे तक करने की सहमति दी गयी है, जो पत्रावली में संलग्न है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी प्रशासन के द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 05.04.2023 एवं संयुक्त बार एसोसियेशन बस्ती के प्रस्ताव दिनांकित 01.04.2023 का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र मे दिये गये निर्देश के अनुसरण मे 01 मई 2023 से 30 जून 2023 तक इस न्यायिक अधिष्ठान के समस्त न्यायालयों की कार्यावधि प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।

माह मई व जून में समस्त कार्यालय 06:30 बजे से 1:30 बजे तक खुले रहेगें तथा समस्त कर्मचारीगण प्रातः 6:30 बजे उपस्थित रहेगें एवं 1:30 बजे तक कार्य करेगें। प्रातः 10:30 बजे से 11:00 बजे तक लंच रहेगा।

तदनुसार समस्त सम्बन्धित सूचित हो।

जनपद न्यायाधीश,
बस्ती

पृष्ठांकन संख्या 1024 पन्द्रह–ग्रीष्म कालीन न्यायालय/दिनॉक :बस्ती : 18 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महा निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, बस्ती।
3. पुलिस अधीक्षक बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से अधीनस्थ समस्त क्षेत्राधिकारियों, थानाध्यक्षों को उक्त समय परिवर्तन से अवगत कराते हुए उन्हे समय से न्यायालय उपस्थित होने का निर्देश निर्गत करें।
4. प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन, बस्ती।
5. अधीक्षक जिला कारागार बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे दिनॉक 01.05.2023 से 30.06.2023 तक प्रातः कालीन न्यायालय कार्य दिवस मे प्रातः 7.00 बजे से 1:00 बजे तक विचाराधीन बन्दियों को सम्बन्धित न्यायालयों मे उपस्थित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती।
7. मुख्य कोषाधिकारी, बस्ती।
8. उप सूचना निदेशक/जिला सूचना अधिकारी, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्त समय परिवर्तन की सूचना का प्रचार–प्रसार निःशुल्क करावें।
9. अध्यक्ष/सचिव समस्त अधिवक्ता संघ, जनपद मुख्यालय बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वे वादकारियों को उक्त समय परिवर्तन से अवगत करा दें।
10. समस्त न्यायालय/कार्यालय जनपद न्यायालय, बस्ती।
11. नोटिस बोर्ड।

18/4/23

जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायाधीश
बस्ती।